नोटिस

**उन सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए निर्देश, जिन्हे 23 अगस्त 2017 को लक्ष्य दिया गया था**

**यह सूचना उन सभी 1703 प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए है, जिन्हें गत 23 अगस्त 2017 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा लक्ष्य दिया गया था। इनमें 1452 फ्रेंचाइज़ी केन्द्रों के साथ-साथ हमारे प्रशिक्षण साझेदारों के स्वामित्व वाले 251 प्रशिक्षण केन्द्र भी शामिल हैं, जो 25 राज्यों एवं 364 जिलों में फैले हुए हैं। इन केन्द्रों की पूरी सूची स्मार्ट की वेबसाईट** <https://smart.nsdcindia.org/> तथा प्रधानमंत्री कोशल विकास योजना की वेबसाईट <http://www.pmkvyofficial.org/Notices_and_Media.aspx> पर उपलब्ध है।

**प्रशिक्षण साझेदारों के स्वामित्व वाले 251 केन्द्रों के लिए निबंधन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे पहले की तरह ही एसडीएमएस प्रणाली पर लॉग इन कर सकते हैं। इसका लिंक उन्हें उनके ईमेल पर भेजा जा चुका है। इन सभी 251 प्रशिक्षण केन्द्रों से आग्रह है कि वे एसडीएमएस प्रणाली पर मौजूदा प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों का नामांकन करते हुए प्रशिक्षण कार्य को आगे बढ़ाएं।**

**उन 1452 फ्रेंचाइज़ी केन्द्रों के लिए प्रक्रिया, जिन्हें 23 अगस्त 2017 को लक्ष्य दिया गया था**

**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत 22 अगस्त 2017 को जारी पत्र के अनुसार फ्रेंचाइज़ी प्रशिक्षण केन्द्रों को अब प्रशिक्षण साझेदार बनाया जाना है। यह प्रक्रिया स्मार्ट के साथ-साथ एसडीएमएस पोर्टल पर भी चलाई जाएगी। इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी जा रही है।**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रमांक** | **गतिविधि** | **समय सीमा** |
| 1 | * प्रशिक्षण केन्द्र अपने मौजूदा लॉग इन आईडी का उपयोग करते हुए स्मार्ट पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।
* ऐसा करते ही उन्हें प्रशिक्षण साझेदार की निबंधन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अलग पन्ने पर भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें अपनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी। यहां वे केन्द्र का नाम बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे।
* प्रशिक्षण केन्द्र को अपनी वैधता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक एक) वेबसाईट के जरिये ही जमा कराने होंगे।
* प्रशिक्षण केन्द्र के मालिक को अपनी पहचान साबित करनेवाले दस्तावेज तथा केन्द्र के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी यहीं से जमा कराने होंगे।
* जमा कराए गए उन दस्तावेजों की जांच राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा की जाएगी।
 | निबंधन के लिए स्मार्ट पोर्टल 6 सितम्बर 2017 को खोल दिया जाएगा |
| 2 | संबद्ध प्रशिक्षण केन्द्र की वैधता तथा फ्रेंचाइज़ केन्द्र के साथ उसका संबंध सुनिश्चित कराने के लिए राष्ट्रीय कोशल विकास निगम द्वारा सुविधा शिविर लगाए जाएंगे। * इन शिविरों में प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रतिनिधियों को अपने मूल दस्तावेज लेकर आने होंगे, जिनसे उनकी वैधता तथा प्रशिक्षण केन्द्र के साथ उनका स्वामित्व साबित हो सके। ये दस्तावेज वही होने चाहिए, जो उन्होंने स्मार्ट पोर्टल के जरिये जमा कराए थे। मूल दस्तावेज के अलावा उन्हें उन दस्तावोजों की दो-दो फोटो प्रतियां भी लानी होगी, जो स्वप्रमाणित हों।
* इन शिविरों में प्रशिक्षण केन्द्रो को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी।
* सभी प्रशिक्षण केन्द्रों से आग्रह है कि वे अपने केन्द्रों की जांच रिपोर्ट लेकर आएं। इसके बिना उन्हें शिविर में घुसने नहीं दिया जाएगा।
 | सुविधा शिविर 14 सितम्बर 2017 से लगाए जाएंगे।इन शिविरों के आयोजन की तिथि एवं स्थान की घोषणा 10 सितम्बर 2017 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की वेबसाईट पर कर दी जाएगी। |
| 3 | * हालांकि प्रशिक्षण केन्द्रों की वैधता संबंधी दस्तावेजों की जांच शिविर के दौरान ही कर ली जाएगी, परन्तु मौके पर केन्द्र की जांच तथा अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इस संबंध में निगम द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
 | सुविधा शिविर में दस्तावेज की जांच करने के बाद |
| 4 | वैधता के लिए निर्धारित पैमानों पर खरा उतरने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की जांच निगम द्वारा नियुक्त जांच एजेंसियां मौके पर जाकर करेंगी।* जांचकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जमा कराए गए दस्वावेजों के आधार पर मौके पर जाकर केन्द्र की जांच करेगा।
* जांच के दौरान केन्द्र की वैधता के साथ ही उसके द्वारा जमा कराए गए दस्तावेजो की भी जांच की जाएगी।
* जिन केन्द्रों के उचित दस्तावेज हमें स्मार्ट पोर्टल या सुविधा शिविर के जरिये मिले हैं, सिर्फ उन्ही का पुनर्निरीक्षण किया जाएगा।
* जांच पर आने वाला खर्च निगम उठाएगा।
* प्रक्रिया चालू होने के बाद जांच की तारीख नहीं बदली जाएगी।
 | 21 सितम्बर 2017 के बाद से |
| 5 | सिर्फ जो केन्द्र जांच में खरे पाए जाएंगे, उन्हें ही एसडीएमएस पर उनकी गतिविधियों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। (इस बारे में नीचे लिखे बिन्दुओं पर गौर करें।) | 24 सितम्बर 2017 से |
| 6. | प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा स्मार्ट पोर्टल पर या फिर शिविर में जमा कराए गए दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा, जिससे उनके स्वामित्व के बारे में सबों को मालूम हो सके। यदि किसी प्रशिक्षण शिविर के दो या अधिक दावेदार होंगे और उन सभी के पास इसके पर्याप्त सबूत होंगे, तो ऐसे केन्द्रों को विवादित घोषित कर दिया जाएगा और मौजूदा पाठ्यक्रम या बैच के पूरा होते ही उसे निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे केन्द्र को निगम अगली किश्तों का भुगतान नहीं करेगा। | 30 सितम्बर 2017 |
| 7.  | सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को एसडीएमएस पर जाकर स्वयं को निगम के विशिष्ट साझेदार के तौर पर पंजीकृत कराना होगा। हालांकि इस निबंधन पर तभी विचार किया जा सकेगा, जबकि एसडीएमएस तथा स्मार्ट पोर्टल पर प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा भरी गई जानकारियां मेल खाएंगी। सूचनाओं के अलग-अलग होने पर केन्द्र का निबंधन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।पंजीकरण के बाद ही प्रशिक्षण साझेदार एसडीएमएस के जरिये उम्मीवारों का नामांकन कर सकेगा और नए बैच बना सकेगा।  | केन्द्र 7 सितम्बर 2017 से एसडीएमएस के जरिये पंजीकरण करा सकेंगे, बशर्ते उन्होंने स्मार्ट पोर्टल पर जाकर सभी आवश्यक जरूरतें पूरी कर ली हों। |
| 8. | केन्द्र द्वारा बैच के नामांकन और निगम द्वारा उसकी स्वीकृति के बाद प्रशिक्षण के शुरु हो जाने पर केन्द्र मौजूदा प्रक्रिया के तहत भुगतान पाने का हकदार होगा। हालांकि क्रमांक 1 से 5 में उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार केन्द्र की वैधता साबित नहीं होने पर उसे कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। |  |

केन्द्र की वैधता की पड़ताल तथा मौके पर जाकर उसकी जांच करने के बाद कुछ विशेष परिदृश्य उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में निम्नलिखित कार्रवाइयां आरंभ की जाएंगी

परिदृश्य 1: केन्द्र की वैधता स्थापित हो जाती है तथा उसकी पांच सितारा श्रेणी भी बरकरार रहती है:

* मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें प्रमाणित किया जाएगा
* नियमानुसार केन्द्र को भुगतान किया जाएगा

परिदृश्य 2: केन्द्र की वैधता स्थापित हो जाती है लेकिन उसकी पांच सितारा श्रेणी बरकरार नहीं रहती है:

* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें प्रमाणित किया जाएगा
* प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नियमानुसार केन्द्र को भुगतान किया जाएगा
* केन्द्र की मान्यता एवं संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी तथा उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के केन्द्रीय घटक तहत नए बैच लेने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा

परिदृश्य 3: केन्द्र का स्वामित्व वैधानिक तौर पर स्थापित नहीं हो पाता लेकिन उसकी पांच सितारा श्रेणी बरकरार रहती है:

* मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें प्रमाणित किया जाएगा
* केन्द्र को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा
* निगम योजना मद से सेक्टर कौशल परिषद को उम्मीदवार की तरफ से मूल्यांकन शुल्क अदा करेगा
* केन्द्र की मान्यता एवं संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी तथा उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अथवा किसी अन्य योजना के तहत नए बैच लेने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा
* धोखाधड़ी के लिए केंद्र के दावेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है

परिदृश्य 4: केन्द्र का स्वामित्व वैधानिक तौर पर स्थापित नहीं हो पाता और ना ही उसकी पांच सितारा श्रेणी बरकरार रहती है:

* मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें प्रमाणित किया जाएगा
* केन्द्र को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा
* निगम योजना मद से सेक्टर कौशल परिषद को उम्मीदवार की तरफ से मूल्यांकन शुल्क अदा करेगा
* केन्द्र की मान्यता एवं संबद्धता समाप्त कर दी जाएगी तथा उन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अथवा किसी अन्य योजना के तहत नए बैच लेने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा
* धोखाधड़ी के लिए केंद्र के दावेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है

परिदृश्य 5: मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र का भवन या बुनियादी ढांचा नहीं पाया जाता :

* ऐसे हालात में, प्रशिक्षण केंद्र को स्मार्ट पोर्टल और एसडीएमएस से हटा दिया जाएगा। इस तरह के केंद्र के दावेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है

**अनुलग्नक 1**

**फ्रेंचाइज केन्द्र को प्रशिक्षण साझेदार के स्वामित्व वाले केंद्र में बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़**

किसी फ्रेंचाइज़ केन्द्र को स्वामित्व वाले प्रशिक्षण केन्द्र में बदलने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी।

|  |
| --- |
| **इकाई का प्रकार** |
| **कंपनी** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | सीआईएन संख्या | निगमन प्रमाणपत्र |
| **साझेदारी फर्म** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | साझेदारी विलेख / समझौते |  |
| **संस्था** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | संस्था का निबंधन प्रमाण-पत्र | अधिनियम |
| **न्यास (ट्रस्ट)** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | न्यास विलेख |  |
| **सीमित दायित्व वाली साझेदारी** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | निबंधन प्रमाण पत्र  |  |
| **स्वामित्व फर्म** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** | **पैन कार्ड** | व्यापार / सेवाओं के संचालन के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण | केन्द्र स्वामी का पैन कार्ड | आयकर रिटर्न का प्रमाण  |
| **सरकारी संस्थान** | **केन्द्र के नाम से कोले गए बैंक खाते का ब्यौरा** |  |  |  |  |

**टिप्पणी:**

* केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र के साथ ही अपना आधार कार्ड भी जमा कराना होगा।
* **प्रशिक्षण केन्द्र मौजूदा प्रशिक्षण साझेदार के साथ अपने संबंध को साबित करने वाले दस्तावेज जमा कराएंगे, जो निगम के रिकार्ड में भी होना चाहिए।**

\*\*\*